

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी आक्षेप-I/2018/ दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-I दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री सुलतान राम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (से.नि.), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 28.08.1978 (च.श्रे.क.) है, को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.09.2006 से 9300-34800 व ग्रेड पे 3200 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

522

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

दिनांक : 08/10/18

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी आक्षेप-I/2018/2764

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को उनके पत्र क्रमांक 7389 दिनांक 16.07.2018 के क्रम में भेजकर लेख है कि कार्मिक को प्रथम नियुक्ति के पश्चात दो पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है। अतः कार्मिक को निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/च.श्रे.क./वॉ-III/05/1152 दिनांक 06.07.2005 के द्वारा स्वीकृत दिनांक 01.06.2005 से 18 वर्षीय चयनित वेतनमान (5000-8000) एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। नियमानुसार वसूली कर निम्नहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
2. श्री सुलतान राम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (से.नि.) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सूचनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर